http://172.16.180.43/cishcbom/Demo/menu.php

46

IG/(10/A/C-499

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABAI

Process Id: 11016/2016

1 2 FEB 2016

From

Kishore Pithawe

Deputy Registrar,

High Court of Judicature

at Jabalpur

WP/19/2016

ON MERIT and I.R. Fixed for 25-02-2016 WP-DA-17

Respondent No. 2

To,

Director General Of Police Police Headquarters,

Janhagirabad Bhopal,

District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 23-01-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Anand Mohan Tiwari has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/19/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 25-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) End: Copy of Petition Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन गृह (सी–अनुभाग) विभाग मंत्रालय वल्लभ–भवन, भोपाल //आदेश//

भोपाल, दिनांक 🔿 मार्च, २०१६

कमांक / 1164 / 3281 / 2015 / दो / सी-1 राज्य शासन एतद् द्वारा प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता 1988 का अधिनयम संख्यांक 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शिवतयों को प्रयोग में लाते हुए श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल को (पक्षकारों के नाम) रिट याचिका कमांक 19 / 2016 श्री आनंद मोहन तिवारी, कामर्शियल सिक्यूरिटी सर्विस विरुद्ध म0प्र0 शासन में म0प्र0 राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवाचनों पर हस्ताक्षर करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखत कार्य करेगा:-

- प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेंगे जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा, यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग में से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
- 2. समस्त संसगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से निम्नलिखित कथन / उत्तर करवायेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेंगे :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) प्रस्तावित दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है/थी और जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित की गयी है/थी।
- मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किये गये कर्त्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत कराना।
- 8. जब कोई आदेश/म0प्र0 राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने मैं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तब शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देना व वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता।

12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा और इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाय।

13 प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजन अधिकारी मुकर्रर है वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है। परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को भेजेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जावे और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि वह इन मामलों में किन्हीं वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षित है, समय पर कार्यवाही की गयी है, अतएवं वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाय, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को आपेक्षित करें।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम सं तथा आदेशानुसार

°Tiz

(श्रीदास) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ. क. / 11657 3281 / 2015 / दो-सी-1 प्रतिलिपि :- भोपाल, दिनांक 🔰 मार्च, 2016

- सचिव, म०प्र० शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. शासकीय अधिवक्ता / महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

4. श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ शासकीय अधिवक्ता से तत्काल संपर्क स्थापित कर मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में वादोत्तर प्रस्तुत करें. कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे।

अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

OZ.